संख्या-9/2019/3387/60-2-18-2/3(2)17

प्रेषक,

गया प्रसाद,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 05 फरवरी, 2019

विषय : आंगनबाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए प्रशासनिक मद में व्यय हेतु विकेन्द्रीकृत व्यवस्था किये जाने हेतु अग्रिम आहरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-सी-994/बा0वि0परि0/लेखा/2018-19, दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 एवं संख्या-1273/बा0वि0परि0/लेखा/2018-19, दिनांक 15 जनवरी, 2019 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रशासनिक मद में संलग्नक के अनुसार प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु रू0 2000/- व प्रति मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र रू0 1000/- की दर से कुल रूपये 35,32,91,000/- (रूपये पैंतीस करोड़ बत्तीस लाख इक्यानबे हजार मात्र) की धनराशि के अग्रिम आहरण करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त धनराशि का अग्रिम आहरण वित्त (लेखा), अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-17/2017/ए-1-1027/दस-2017-10(55)/2017, दिनांक 15 नवम्बर, 2017 तथा उसके साथ संलग्न शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.1983, शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10.06.2011 एवं शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15-1(1)/69 दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

(2) धनराशि का अग्रिम आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा। अग्रिम आहरण के फलस्वरूप शासन को यदि कोई हानि होती है, तो उसके लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(3) धनराशि निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा।

(4) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 (यथासंशोधित) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वहीं उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(5) पिछले स्वीकृत किये गये समस्त अग्रिमों एवं अब तक स्वीकृत किये जा रहे अग्रिम का समायोजन दिनांक 31 मार्च, 2019 तक अवश्य करा लिया जाय तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ों में भी समायोजन सुनिश्चित कराते हुए वित्त विभाग को प्रत्येक दशा में अवगत कराया जायेगा। समायोजन सुनिश्चित हो जाने के उपरान्त ही अगले अग्रिम आहरण का प्रस्ताव किया जायेगा।

(6) उपरोक्त बैंक खाते में ट्रांसफर की जाने वाली धनराशि के व्यय से सम्बन्धित लेखों के रख-रखाव, बैंक खाते से नियमित रूप से समाधान (रिकन्सीलिएशन)आडिट के सम्बन्ध में विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से विस्तृत दिशा-निर्देश यथाशीघ्र जारी किये जायेंगे तथा इसमें विभिन्न स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण कर दिया जायेगा।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं-0102-समन्वित बाल विकास योजना के मानक मद-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई4-54/दस-2019, दिनांक 31 जनवरी, 2019 के द्वारा दी गयी सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,

(गया प्रसाद)
विशेष सचिव।

संख्या-9/2019/3387(1)/60-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
6. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग/वित्त (लेखा) अनुभाग-1
7. समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या–9/2019/3387/60–2–18–2/3(2)17 दिनांक 05 फरवरी, 2019 का अनुलग्नक

क्रम संख्या	कोड संख्या	जनपद	कुल संचालित केन्द्रों की संख्या	आंगनबाड़ी संचालित केन्द्रों की संख्या	मिनी आंगनबाड़ी संचालित केन्द्रों की संख्या	आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु रू0 2000/– प्रति केन्द्र की दर से	मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु रू0 1000/– प्रति केन्द्र की दर से	योग (कालम 6+7)
1		2	3	4	5	6	7	8
1	2	सहारनपुर	3410	3070	340	6140000	340000	6480000
2	3	मुजफ्फरनगर	2274	2202	72	4404000	72000	4476000
3	4	मेरठ	2058	2058	27	4116000	27000	4143000
4	5	बुलन्दशहर	3958	3763	195	7526000	195000	7721000
5	6	अलीगढ़	2990	2742	248	5484000	248000	5732000
6	7	मथुरा	2363	2068	259	4136000	259000	4395000
7	8	आगरा	2982	2565	417	5130000	417000	5547000
8	9	मैनपुरी	1788	1620	168	3240000	168000	3408000
9	10	एटा	1864	1594	270	3188000	270000	3458000
10	11	बरेली	2857	2600	257	5200000	257000	5457000
11	12	बिजनौर	3198	3010	188	6020000	188000	6208000
12	13	बदायूँ	2937	2657	280	5314000	280000	5594000
13	14	मुरादाबाद	2742	2645	97	5290000	97000	5387000
14	15	शाहजहाँपुर	2913	2557	356	5114000	356000	5470000
15	16	पीलीभीत	1960	1738	222	3476000	222000	3698000
16	17	रामपुर	2700	2398	302	4796000	302000	5098000
17	18	फरूर्खाबाद	1752	1472	280	2944000	280000	3224000
18	19	इटावा	1564	1409	155	2818000	155000	2973000
19	20	कानपुर नगर	2134	2022	112	4044000	112000	4156000
20	21	फतेहपुर	2907	2521	386	5042000	386000	5428000
21	22	इलाहाबाद	4499	4227	272	8454000	272000	8726000
22	23	झांसी	1379	1284	95	2568000	95000	2663000
23	24	जालौन	1814	1554	260	3108000	260000	3368000
24	25	हमीरपुर	1432	1377	65	2754000	65000	2819000
25	26	बांदा	1705	1588	117	3176000	117000	3293000
26	27	वाराणसी	3914	3287	627	6574000	627000	7201000
27	28	मिर्जापुर	2680	2192	488	4384000	488000	4872000
28	29	जौनपुर	5321	4763	558	9526000	558000	10084000
29	30	गाजीपुर	4118	3579	539	7158000	539000	7697000
30	31	बलिया	3455	2604	851	5208000	851000	6059000
31	32	गोरखपुर	4237	3888	224	7776000	224000	8000000
32	33	बस्ती	2655	2235	420	4470000	420000	4890000
33	34	आजमगढ़	5588	4939	649	9878000	649000	10527000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

34	35	देवरिया	3243	3057	186	6114000	186000	6300000
35	43	लखनऊ	2716	2502	214	5004000	214000	5218000
36	44	उन्नाव	3352	3061	291	6122000	291000	6413000
37	45	रायबरेली	2833	2558	275	5116000	275000	5391000
38	46	सीतापुर	4232	3643	589	7286000	589000	7875000
39	47	हरदोई	3930	3459	471	6918000	471000	7389000
40	48	लखीमपुर खीरी	3503	2905	598	5810000	598000	6408000
41	49	फैजाबाद	2378	1922	456	3844000	456000	4300000
42	50	गोण्डा	3095	2795	300	5590000	300000	5890000
43	51	बहराईच	3094	2619	475	5238000	475000	5713000
44	52	सुलतानपुर	2511	2111	400	4222000	400000	4622000
45	53	प्रतापगढ़	3247	2899	348	5798000	348000	6146000
46	54	बाराबंकी	3052	2799	253	5598000	253000	5851000
47	58	ललितपुर	1124	1034	90	2068000	90000	2158000
48	59	गाजियाबाद	1373	1331	42	2662000	42000	2704000
49	60	मुख्यालय	0	0	0	0	0	0
50	62	कानपुर देहात	1788	1502	286	3004000	286000	3290000
51	66	मऊ	2587	2213	374	4426000	374000	4800000
52	67	सिद्धार्थनगर	3112	2594	518	5188000	518000	5706000
53	68	फिरोजाबाद	2540	2141	399	4282000	399000	4681000
54	69	सोनभद्र	1825	1406	419	2812000	419000	3231000
55	70	महराजगंज	3133	2722	411	5444000	411000	5855000
56	71	महोबा	881	715	166	1430000	166000	1596000
57	72	भदोही	1483	1335	148	2670000	148000	2818000
58	73	कुशीनगर	4134	3579	555	7158000	555000	7713000
59	74	अम्बेडकर नगर	2548	2249	299	4498000	299000	4797000
60	76	गौतमबुद्धनगर	1108	1030	78	2060000	78000	2138000
61	77	चन्दौली	1823	1600	223	3200000	223000	3423000
62	78	हाथरस	1712	1435	277	2870000	277000	3147000
63	79	बलरामपुर	1882	1712	170	3424000	170000	3594000
64	80	संतकबीर नगर	1765	1458	307	2916000	307000	3223000
65	81	औरेया	1789	1327	462	2654000	462000	3116000
66	82	कौशाम्बी	1775	1395	380	2790000	380000	3170000
67	83	बागपत	1338	1058	280	2116000	280000	2396000
68	84	कन्नौज	1615	1430	185	2860000	185000	3045000
69	85	श्रावस्ती	925	873	52	1746000	52000	1798000
70	86	अमरोहा	1428	1192	236	2384000	236000	2620000
71	87	चित्रकूट	959	748	211	1496000	211000	1707000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

72	88	कासगंज	2143	1989	154	3978000	154000	4132000
73	89	अमेठी	1943	1614	329	3228000	329000	3557000
74	90	हापुड़	887	796	91	1592000	91000	1683000
75	91	शामली	980	938	42	1876000	42000	1918000
76	92	सम्भल	1800	1707	93	3414000	93000	3507000
		योग	**187734**	**165681**	**21929**	**331362000**	**21929000**	**353291000**

http://shasanadesh.up.nic.in